<u>न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा</u>

<u>(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)</u>

अपील संख्या 115/2017 दायरा दिनांक : 04.09.2017

उनवान

1— भवानी सिंह आत्मज बापूलाल, जाति राजपूत, निवासी सिंहपुर, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

2— गुमान सिंह आत्मज बापूलाल, जाति राजपूत, निवासी सिंहपुर, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

3— बहादुर सिंह आत्मज बापूलाल, जाति राजपूत, निवासी सिंहपुर, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

4— श्रीमती गंगा बाई पुत्री बापूलाल पत्नी मांगीलाल, जाति राजपूत, निवासी बनी, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

5— श्रीमती कमला बाई पुत्री बापू लाल पत्नी गुमान सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम धतूरिया, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

6— श्रीमती मानकंवर बाई पुत्री बापूलाल पत्नी नाथू सिंह, जाति राजपूत, निवासी चन्द्रपुरा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— मांगीलाल आत्मज भैरू सिंह, जाति राजपूत, निवासी सिंहपुर, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड

2— श्रीमती अकन बाई पुत्री बापू लाल पत्नी औंकार लाल, जाति राजपूत, निवासी धतूरिया, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड (मृतक) कायम मुकामान :—

2/1— विद्या कुंवर पुत्री अकन बाई, जाति राजपूत, निवासी धतूरिया, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड

2/2— गुड्डी बाई पुत्री अकन बाई, जाति राजपूत, निवासी धतूरिया, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड

2/3— पेमू बाई पुत्री अकन बाई, जाति राजपूत, निवासी धतूरिया, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड

2/4— कृष्णा कुंवर पुत्री अकन बाई, जाति राजपूत, निवासी धतूरिया, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड

2/5— विनोद कुंवर पुत्री अकन बाई, जाति राजपूत, निवासी धतूरिया, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड

2/6— डूँगर सिंह पुत्र अकन बाई, जाति राजपूत, निवासी धतूरिया, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड

3— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पचपहाड, जिला झालावाड

4— मैनेजर भूमि विकास बैंक, भवानीमण्डी, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री सी.पी.खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 20.08.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या — 32/दावा/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी ने एक वाद अधीनस्थ न्यायालय में अर्न्तगत धारा 88, 91, 92ए, 53, व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि ग्राम सिहपुर, तहसील पचपहाड में जमाबंदी सम्वत 2069–2072 जमाबंदी संख्या 209 नई की आराजी खसरा नम्बर 948 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 1960 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1970 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 1971 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 2062 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 2063 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 2064 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 2065 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 2187 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा कुल 9 किता की 17 बीघा 8 बिस्वा आराजी स्थित है । वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी है जो वादी के दादा देवी सिंह की खातेदारी में दर्ज थी । देवी सिंह की मृत्यु के उपरान्त तत्कालीन रीति रिवाज के अनुसार देवी सिंह के बड़े पुत्र बापू लाल की खातेदारी में दर्ज कर दी गई एवं बापू लाल के स्वर्गवास होने पर वादग्रस्त आराजी बापूलाल के वारिसान की खातेदारी में दर्ज कर दी गई । वादी देवी सिंह के छोटे पुत्र भैरू सिंह का पुत्र है । देवी सिंह ने अपने जीवनकाल में ही समस्त आराजी का अपने पुत्रों के मध्य पारिवारिक बंटवारा कर दिया था । भैरू सिंह जब तक जीवित रहे वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते रहे । वादी के पिता के फौत होने पर वादी वादग्रस्त आराजी पर काश्त करता चला आ रहा है । वादग्रस्त आराजी पर 60 वर्षों से निरन्तर बिना किसी रोक टोक के ऐलानिया वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद स्वीकार किया तथा 1/2 हिस्से का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी में 1/2 हिस्से का रेस्पोडेंट को खातेदार घोषित कर बंटवारे का आदेश पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने

राजस्व लोक अदालत में प्रकरण का निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अपीलांट प्रतिवादी की ओर से कोई समझौता पत्र पेश नहीं किया गया, उसके बावजूद प्रकरण कैम्प सिंहपुर में रख दिया, उसके बाद प्रकरण कैम्प करावन पर रख दिया और इसके बाद कैम्प बिस्तुनिया पर रख दिया । राजस्व लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाना चाहिए जिसमें पक्षकारान ने लिखित समझौता पेश किया हो । अधीनस्थ न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की पूर्णतया अनदेखी कर प्रकरण का निर्णय पारित किया है । साक्ष्य लिये बिना, दस्तावेज लिये बिना और अपीलांट को सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना प्रकरण का निस्तारण किया है जो अवैधानिक है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 29.08.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी को केवल रेस्पोडेंट के बयानों के आधार मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया है तथा अपीलांट को सुनवाई का

अवसर नहीं दिया गया है । जबकि वादग्रस्त आराजी अपीलांट की खातेदारी में दर्ज है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय में जो दस्तावेजात पेश किये गये हैं उनको भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदर्श नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाब एवं तलबी में लम्बित है । इसको लोक अदालत में रखा गया है । समस्त पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए है और न ही उनके द्वारा कोई विधिक राजीनामा पेश किया गया है और अधीनस्थ न्यायालय ने बिना समस्त पक्षकारान की तलबी किये, बिना वादी के बयान रेकार्ड पर लिये उसी दिन लोक अदालत में दावा डिक्री किया है जो त्रुटिपूर्ण है ।

लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो इसके अभाव में सी पी सी की पालना करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त कर उभयपक्षीय बहस सुनकर निर्णय पारित किया जाना अनिवार्य होता है । हम इस प्रकरण में अपीलांट अप्रार्थीगण को न्यायहित में जवाबदेही का अवसर प्रदान किया जाना उचित समझते हैं । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

न्यायहित में हम अपीलांट को सुनवाई का एक अवसर प्रदान किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.05.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को जवाबदेही का अवसर प्रदान कर उभयपक्षीय बहस सुनकर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.11.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा